


24

47  
24

प्रावली देश डूरी वली वली बाद  
पत्र में वरिष्ठ तबलो का दोहराते हुए  
निवेदन किया कि बाद में कारागार  
पुनरी का केवल केवल कारागार में  
पुनरी का 1/3 एक का पुनरी का  
की भी मरुतु है पुनरी के निवेदन  
वरिष्ठ इनके पुत्र पुनरी, पुनरी का  
पुनरी वसन्ती वारी एवं केवल डूरी





वही दिना इतलिये ज व ल बंद दिना जमा  
 साक्षरवादी. नै वादी तुलसीराम का  
 शपथ पत्र पेश हुआ जिन पर पदरी  
 अंकित किए गये। शपथ पत्र में बताया  
 कि तूरी बरि द्वारा अपने निवतनकार  
 में दिनांक 3.1.2018 को जमिने रजिस्ट्रि  
 एक टाग से 1/12 दिना वादी  
 तुलसीराम के पत्र में एक टाग दिना  
 जमा जिनकी जोसेयति बाद पत्र में  
 संकन भी गई है वादी का पूर्व में  
 जेका भी बाद पत्र में वादी का  
 दिना 1/12 अंकित दिना है जो  
 तूरी बरि द्वारा 1/12 दिना वादी के  
 पत्र में रिजिज का एक टाग दिना  
 रजिस्ट्रि एक टाग के साक्षर  
 वादी के पत्र में पंजीकृत करवाना  
 इसी को साक्षर सावकार वादी  
 1/12 + 1/12 मति 1/6 दिने की  
 घोषणा जारी है इसी तबो की  
 मुक्ति शपथ पत्र एवं रजिस्ट्रि एक  
 टाग से छोटी है समस्त विशेकन  
 के साक्षर पर वाद-वादी इकीकार  
 दिना जमा इतिर प्रतीत होता है  
 इतलिये वाद-वादी इकीकार  
 कादेश दिना जमा है <sup>कोर्ट की</sup> ~~दि~~ काराजि  
 न 1443, 1445, 1446, 1452, 1453, 1457,  
 1459, 1471, 1472, 1473, 1584 कुट  
 दिना 11 खन 4.1900 <sup>कुट</sup> की मुक्ति  
 में वादी का 1/6 दिने का साक्षर  
 अंकित दिना जमा है काय 188 की  
 दाद साकित करने में करामत  
 रघु है इतलिये कारिज की जारी  
 है इसी कारण का पत्र दिना जमा  
 जमा जमा वादी के पत्र दिना जमा  
 नम्बर के कन दो 

मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी  
प्रकरण सं. 28/2021 वादपत्र धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.  
1- तुलसीराम पिता चुन्नीलाल डांगी नि. बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी ।

—वादी

बनाम

- 1- पुष्पाबाई बेवा पूनमचंद डांगी नि. बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- मुकेश पिता किशनलाल माता दमयंतीबाई डांगी ना.बा.स. पिता किशनलाल पिता सवा डांगी नि. बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 3- कुसुम पुत्री किशनलाल माता दमयंतीबाई डांगी ना.बा.स. पिता किशनलाल पिता सवा डांगी नि. बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 4- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

—प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील श्री के.एल. जाट तथा प्रतिवादी की ओर से Exparte पार्टी उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौज्जा बोहेड़ा कि आराजी नं. 1443, 1445, 1446, 1452, 1453, 1457, 1459, 1471, 1472, 1473, 1584 कुल कित्ता 11 रकबा 4.1900 हैक्ट. भूमि में वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। धारा 188 की दाद साबित करने में असफल रहा है इसलिए खारिज की जाती है।

इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित..... को दी जावे।  
यह आज दिनांक 04.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



(कल्पित शिवरान)RAS  
आर.ए.एस  
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2024/179

दिनांक : 29/07/2024

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।



(कल्पित शिवरान)RAS  
आर.ए.एस  
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी